

प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

प्रधानाचार्य / निदेशक,
परिषद से सम्बद्ध समस्त,
निजी क्षेत्र की पॉलीटेक्निक संस्थाएँ।

पत्रांक: प्राशिप / परिषद / 2025 / 5813

लखनऊ: दिनांक: 05-12-2025

विषय: आधार कार्ड की अनुमन्यता जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में न होने के संबंध में।

महोदय,

कृपया, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उ० प्र० कानपुर के पत्र पृ०सं०: 67923-68103 / ई-प्रशा० सर्कुलर, दिनांक: 04.12.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ संलग्न जनशक्ति नियोजन प्रभाग (नियोजन विभाग), उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं०: 392 / 27 / 7-363 / 107944 / ज०नि०प्र० / 2024, दिनांक: 24.11.2025 के द्वारा आधार कार्ड को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार न किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के क्रम में उपरोक्त पत्र समस्त संलग्नकों सहित आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि पत्र में की गई अपेक्षानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डॉ संतोष कुमार सिंह)
सचिव

पृ०सं०: प्राशिप / परिषद / 2025 / 5814-15

तददिनांक: 05-12-2025

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संयुक्त सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।

(डॉ संतोष कुमार सिंह)
सचिव

अपमर्चि
परिपु

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय

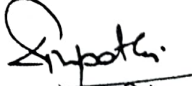
उ०प्र०, कानपुर।

दिनांक ०५/१२/२०२५

पृ०सं० ६७९२३-६८१०३/ई-प्रशा० सर्कुलर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आधार कार्ड की अनुमन्यता जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में न होने के संबंध में विशेष सचिव, जनशक्ति नियोजन प्रभाग (नियोजन विभाग) के पत्र संख्या-३९२/२७/७-३६३/१०७९४४/ज०नि०प्र०/२०२४ दिनांक-२४.११.२०२५ की प्रति संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

१. संयुक्त सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-३, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
२. महानिदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
३. निदेशक, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर।
४. कार्यालयाध्यक्ष/प्रधानाचार्य(मु०), प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
५. समस्त संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश।
६. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि निजी क्षेत्र की संस्थाओं को अपने स्तर से निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।
७. सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, लखनऊ।
८. सचिव, प्रवेश एवं फीस नियमन समिति, लखनऊ।
९. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय/अनुदानित/पीपीपी/निजी पालीटेक्निक, संस्थान, उत्तर प्रदेश।


(कमलेश मिश्र)

सहायक निदेशक,
कृते निदेशक, प्राविधिक शिक्षा,
उ०प्र०।

पत्रांक: 312/47/363/10/944/ज0नि0प्र0/2024

प्रेषक,

विशेष सचिव,
नियोजन विभाग,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

जनशक्ति नियोजन प्रभाग (नियोजन विभाग)

लखनऊ दिनांक: 24 नवम्बर, 2025

विषय: आधार कार्ड की अनुमन्यता जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में न होने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उप निदेशक, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0आई0डी0ए0आई0), क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्रांक: 16013/4/2020-RO-LKO/5416 दिनांक 31.10.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि आधार कार्ड जन्म तिथि का अनुमन्य प्रमाण नहीं है। तथापि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा अभी भी आधार कार्ड को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। तत्क्रम में राज्य सरकार के समस्त विभागों को उक्त सम्बन्ध में अवगत कराने की अपेक्षा की गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया आधार कार्ड को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार न किये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

Digitally signed by
AMIT SINGH BANSAL
Date: 24-11-2025
16:31:17

(अमित सिंह बंसल)
विशेष सचिव।

पत्रांक एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाथे प्रेषित -

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. उप महानिदेशक, यू0आई0डी0ए0आई0 क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।



दिनांक: 31.10.2025

पत्रांक: 16013/4/2020-RO-LKO / 54/6

पत्रांक: 830/ज०नि०प्र०/2025
दिनांक: 24/11/2025

सेवा में
निदेशक
जन शक्ति नियोजन विभाग
उ० प्र०।

विषय: आधार के जन्म तिथि का प्रमाण न होने के सम्बंध में।

महोदय,
उपर्युक्त विषय में कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या 16013/4/2020-RO-LKO/2592
दिनांक. 05 जून 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा यह अवगत कराया गया था कि
आधार कार्ड जन्म तिथि का अनुमन्य प्रमाण नहीं है। तथापि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा अभी
भी आधार कार्ड को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि राज्य सरकार के समस्त विभागों को उक्त विषय में अवगत कराते हुए
निर्देशित करें कि आधार कार्ड को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार न किया जाए, आधार कार्ड जन्म
तिथि का अनुमन्य प्रमाण नहीं है।

R.O. (Jyoti)
E.S.H.
04/11/2025

भवदीय

(आदित्य प्रकाश बाजपेयी)
उप निदेशक